

वित्त निर्देश 21/2023

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग  
::मंत्रालय::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्र. 386/275/2022/वि/नि/चार,  
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21.07.2023

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
छत्तीसगढ़

विषय:-छत्तीसगढ़ राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को समयमान वेतन उपलब्ध कराने बाबत  
संदर्भ:-वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 97/107/वि/नि/चार/2008, दिनांक 28.04.2008


छत्तीसगढ़ राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से संदर्भित ज्ञापन द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि संदर्भित परिपत्र के परिशिष्ट-2 में विभागों के समक्ष उल्लेखित पदों के अतिरिक्त इस परिपत्र के साथ संलग्न 'परिशिष्ट-2' में दर्शाये गये पदों को शामिल किया जाये।

3/ विभाग से अनुरोध है कि वे 'परिशिष्ट-2' में दर्शाये गये पद की जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि पद सीधी भर्ती का है एवं वेतनमान सही है। किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर समुचित संशोधन हेतु वित्त विभाग को तत्काल अवगत कराया जाए।

वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र में निहित प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।  
संलग्न:- 'परिशिष्ट-2'

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(इन्द्रकान्त राठौं)  
अवर सचिव


पृ. क्रमांक 387 / 275 / 2022 / वि / नि / चार,  
प्रतिलिपि:-

// 2 //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21.07.2023

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री / राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
9. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निज सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त विशेष सचिव / अपर सचिव / संयुक्त सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / शोध अधिकारी / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला / इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर / बिलासपुर, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु

- को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु

  
अवर सचिव  
वित्त विभाग

विभागावार एवं संगर्गवार उच्चतर वेतनमान की सूची

क्र.	विभाग	विभागाध्यक्ष	संगर्ग	वर्तमान वेतनमान छठवां / सातवां	प्रथम उच्चतर वेतनमान छठवां / सातवां	द्वितीय उच्चतर वेतनमान छठवां / सातवां	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	विधि विभाग	कार्यालय माध्यस्थम अधिकरण	निज सहायक	9300-34800+4300 लेवल 9	9300-34800+4800 लेवल 11	15600-39100+5400 लेवल 12	ऐसे निज सहायक जिनकी नियुक्ति वर्ष 2008 में सीधी भर्ती से हुई है को प्रथम समयमान वेतनमान का लाभ सेवा भर्ती नियम, 2022 के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि अर्थात् 22 फरवरी 2022 के पश्चात् देना होगी। वर्ष 2008 में सीधी भर्ती से नियुक्त किये गये कम्प्यूटर ऑपरेटर को प्रथम समयमान वेतनमान का लाभ सेवा भर्ती नियम, 2022 के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि अर्थात् 22 फरवरी 2022 के पश्चात् देय होगी।
			कम्प्यूटर ऑपरेटर	5200-20200+1900 लेवल 4	5200-20200+2400 लेवल 6	5200-20200+2800 लेवल 7	
2	लोक निर्माण विभाग	प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग	ड्राफ्ट्समैन	9300-34800+4200 लेवल 8	9300-34800+4400 लेवल 10	15600-39100+5400 लेवल 12	भर्ती नियम 2016 के जारी होने के पूर्व प्रचलित मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग मुख्य वास्तुविद संगठन, तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) भर्ती सेवा तथा शर्त नियम 1977 (प्रकाशन वर्ष 1979) के आधार पर नियुक्त ड्राफ्ट्समैन को वित्त निर्देश 11/2008 के अनुसार समयमान वेतनमान की पात्रता होगी।